

कार्यालय,  
सचिव, प्राथमिक शिक्षा परिषद,  
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या- प्राथमिक/परिषद सम्बद्धता/2020/1971

लखनऊ-दिनांक: 15-9-2020

—कार्यालयीय आदेश—

अखिल भारतीय साक्षरता शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/भारतीय वादकर्म (जीएच) इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा वित्तिय सत्र 2020-21 हेतु जिल्लेवार राष्ट्रीय साक्षरता शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ संख्या- प्राथमिक/परिषद/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-9-2020 को लखनऊ प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ संख्या- प्राथमिक/परिषद/सम्बद्धता को अखिल भारतीय वादकर्म (जीएच) संस्थान द्वारा सत्र 2020-21 हेतु अनुमोदन प्राप्त संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/वादकर्म/प्रवेश क्षमता वृद्धि संबंधित अन्य गतों पर विचार करते हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उपरोक्त अनुमोदन में सम्बद्धता समिति की बैठक के मर-3 में विद्यमान इन भारतीय वादकर्म संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान करने वाली सूची को सम्बद्ध संस्थाओं को प्रकाशित करा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गहन विचार-विमर्श कर निम्नलिखित निर्णय लिया गया —

‘सिद्धी क्षेत्र में स्थापित विद्यालय इन भारतीय वादकर्म संस्थाओं को अनुमोदन देने वाली संस्थाओं, जो प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ संख्या- प्राथमिक से पूर्व ही सम्बद्ध हैं, एवं सत्र 2020-21 हेतु पीसीआईए द्वारा उन्हें वसूली अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पीसीआईए द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार को अनुसाह उनके माथ को सम्बद्ध अखिल वादकर्म/प्रवेश क्षमता के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद को सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से पीसीआईए द्वारा प्रदान अनुमोदन विस्तार के अनुमोदन में सत्र 2020-21 हेतु परिषद को सम्बद्धता विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया।’

दिनांक 14-09-2020 को आइए सम्बद्धता समिति की बैठक में विद्यमान गये उपरोक्त निर्णय को अनुमोदन में निम्न संख्या को प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ संख्या- प्राथमिक द्वारा सत्र 2020-21 हेतु विभाजित शर्तों के अन्तर्गत वादकर्म एवं प्रवेश क्षमता प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है :-

क्र। सं०	संख्या सं०	संस्था का नाम	वादकर्म का नाम	पीसीआईए द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदन प्रवेश क्षमता	पीसीआईए /परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदन प्रवेश क्षमता
1	1228	साक्षा सिटी ज्युनियर हाइस्कूल, पी-खेत, लखनऊ	सिद्धी इन्वर्सी	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था पीसीआईए/परिषद द्वारा निर्धारित की गयी शर्तें का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था द्वारा प्रेषित प्राथमिक शिक्षा परिषद एवं लखनऊ प्राथमिक शिक्षा परिषद अधिकारियों, लखनऊ संख्या- 2016 तथा अन्य शिक्षित विद्वानों एवं आचार्यों को अनुमोदन करायी तथा मुख्य शिक्षक समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन सप्तिह अंतर्गत वादकर्म हेतु ₹ 30,000.00/- प्रत्येक (30 सप्तिह) के अन्तर्गत भारतीय वादकर्म हेतु ₹ 45,000.00/- प्रत्येक एवं शेष तथा दो वार्षिक वादकर्म (दो वार्षिक भारतीय वादकर्म के अंतर्गत) हेतु ₹ 22,500.00 प्रत्येक शुल्क ही पर्यटक पाठ/अंतर से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त की अतिरिक्त पाठ/अंतर से शुल्क के सम्बन्ध में समझ-बूझ पर आशय द्वारा निर्णय लिया जाने वाले आसपास प्रस्तावी शर्तों, और अनुसाह आचार्यों शिक्षक

  
CHAIRMAN  
S.T.A. Memorial Trust  
Sahara Hospital, Top Khana Gola  
Rampur (U.P)

  
PRINCIPAL  
SAHARA DEGREE COLLEGE  
Vil. Januragar, Dist. Raonur (U.P)

काया कालिका होगा। बीस शिवराज समिति द्वारा यदि वर्ष 2020-21 हेतु बीस का पुनर्निर्माण किया जाता है तो बीस की स्वीकृति भी लागू होगी।

- ✓ सभा को (2020) प्राथमिक शिक्षा समितिओं तथा एवं समितियों, संस्थाओं को सम्बंधित शिक्षा (अपने विनियमन-2020) की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ सभा ने संयुक्त प्रदेश प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा अर्जित फंडों को भी प्रेषित किया जाएगा। शीघ्र ही शिक्षा एवं सभा को शिक्षा में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रेषित की जाएगी।
- ✓ सभा को समय-समय पर निर्गत शासनोपदेश को अनुसार निर्देशानुसार एवं सम्बंधित सूचना प्राप्त करना होगा।
- ✓ सभा को एजुकेशनल/टेकनीकल/ विनियमन/ नियंत्रण के तहत ही हेतु अनुपालन प्राप्त किया जाता अपागत होगा।
- ✓ सभा द्वारा प्रदेश शासन द्वारा कलाने एवं विधि/विज्ञान/ अतिरिक्त/ शासनोपदेश/ निर्देश एवं विदेशक, प्राथमिक शिक्षा 2020 संयुक्त प्रदेश प्रौद्योगिकी परिषद, 2020 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद, 2020 द्वारा कलाने एवं विदेशक विनियमन, निर्देशों का पालन करने के लिए कार्य होगी।
- ✓ विनियमन एवं कलाने (अनुपालन) की संस्थाएं यदि कोई/कोई नई विधियों में अनुपालन प्राप्त करने में असमर्थ नहीं है तो इस सभा में समस्त प्रशासनिक सभा का होगा और विदेशक एवं वे किलो भी कार्यवाही के लिए प्रेषित करें प्रशासनिक होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रदेश प्रौद्योगिकी परिषद, प्राथमिक शिक्षा विनियमन एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश शासन को कोई कार्य प्राप्त किया जाता है तथा कार्यरत एवं के सभा में भी अनुपालन द्वारा किलो प्रेषित की प्रतिक्रिया प्रकटी कराया निश्चित किया जाता है तो समस्त प्रतिक्रिया प्रकटी कराया को कलाने होगी।
- ✓ विनियमन एवं कलाने (अनुपालन) संयुक्त करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रदेश प्रौद्योगिकी परिषद, उत्तर प्रदेश सदनक द्वारा प्रेषित एवं वे लिए प्राथमिक प्रदेश प्रेषित हेतु कार्यवाही प्राप्त करने में पूर्ण प्रतिक्रिया हेतु अनुपालन प्राप्त एवं प्रेषित कार्यवाही को अनुपालन करना होगा। संस्था एवं प्रेषित प्रेषित की (कार्यवाही/निर्देश के माध्यम से अथवा संस्था एवं पर सीधे प्रेषित) अनुपालन नहीं प्रेषित की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रेषित हेतु निर्गत शासनोपदेश/निर्देशों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ सभा को अपने वेबसाइट पर सभा की समस्त सूचनाएं जैसे सभा की पेंडिंग/निर्देश, प्रेषित, राज-राज, सम्बंधित, प्राप्त किया जाने वाला सूचना, सम्बंधित सूचना एवं वे विदेशक सम्बंधित प्रेषित होगा।
- ✓ सभा को शिक्षा-प्रशिक्षण हेतु संयुक्त शासनोपदेश/निर्देश/निर्देशों को सभा में सभा में समस्त कार्यवाही प्रतिक्रिया कलाने होगी।
- ✓ सभा को सुनिश्चित हो ले कि सभा में प्रशासनिक/संयुक्त अनुपालन को कलाने एवं हेतु निर्देशानुसार समिति के सभा प्रकटीकरण करने एवं अतिरिक्त सुनि-शासन, कलाने, सम्बंधित प्रेषित एवं यदि सभा द्वारा किलो एवं अनुपालन के शासन में प्रेषित किया जाता है और प्रेषित को प्रकटीकरण होगी है कि सभा प्रकटीकरण का प्रेषित किलो एवं कलाने के लिए कर रही है तो सम्बंधित सभा की सम्बंधित सम्बंधित किलो एवं ही अनुपालन की जाएगी।
- ✓ सम्बंधित शर्तों का अनुपालन न होने जाने प्रेषित शर्तों का अनुपालन प्रेषित करने की शिक्षा में विदेशक/निर्देश अनुपालन/निर्देशों को प्रेषित की जाएगी।

(20 अक्टूबर 2020)  
समिति

पुष्प- प्रेषित/परिषद सम्बंधित / 2020 / 1872-3141

उद्दिष्ट दिनांक 15-10-2020

परिषद-सागराज/निदेशक, सागरा डिग्री कॉलेज, जानुगढ़, पीठ-सागरा, राठ-मिठक, रागापुर।

(20 अक्टूबर 2020)  
समिति

  
CHAIRMAN  
S.T.A. Memorial Trust  
Sahara Hospital, Top Khana Gola  
Rampur (U.P.)

  
PRINCIPAL  
SAHARA DEGREE COLLEGE  
Vill. Januragar, Dist. Rampur (U.P.)

**कार्यालय,  
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,  
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ: दिनांक: 09/08/2021

**:-कार्यालय जाप:-**

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरंत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

**संस्था का कोड एवं नाम : 1233-SAHARA DEGREE COLLEGE, JANUNAGAR, POST-KEMRI, TEHSIL-MILAK, RAMPUR-243701**

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992, सेमेस्टर विनियमावली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु रू० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु रू०- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रू०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था को (उ०प्र० प्राविधिक शिक्षा समितियां तथा उ०प समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमवली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा,

  
**CHAIRMAN**  
S.T.A. Memorial Trust  
Sahara Hospital, Top Khana Gah

  
**PRINCIPAL**  
SAHARA DEGREE COLLEGE  
Vill. Janunagar, Dist. Rampur (U.P.)

उ०प्र० संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।

- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई वाद दापर किया जाता है तथा दापर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संवाहित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपर्युक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रेगिग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/ संवाहित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संवाहन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुशांसा की जायेगी।
- ✓ संस्था के स्थलीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए०आई०सी०टी०आई०/पी०सी०आई०/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

प०सं०- प्राशिष/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809


दिनांक: 09/08/2021

प्रतिशिपि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक, SAHARA DEGREE COLLEGE, JANUNAGAR, POST-KEMRI, TEHSIL-MILAK, RAMPUR-243701

  
(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

  
S.T.A. Memorial Trust  
Sahara Hospital, Top Khana Gate  
Rampur (U.P.)

  
PRINCIPAL  
SAHARA DEGREE COLLEGE  
Vill. Janunagar, Dist. Rampur (U.P.)

**कार्यालय,****सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,****उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2022/9437

लखनऊ दिनांक: 27/09/2022

**:-कार्यालय शाप:-**

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मैसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 27/09/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नोक्त शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

**संस्था का कोड एवं नाम : 1233-SAHARA DEGREE COLLEGE**

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1992, विनियमावली-2000, सेमेस्टर विनियमावली-2016 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु ₹० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मैसी पाठ्यक्रम हेतु ₹०- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मैसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2022-23 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दरे लागू होगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, लखनऊ तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।

- ✓ यदि संस्थान का ए0आई0सी0टी0ई0पी0सी0आई0 से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रवेश हेतु आयोजित काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व ए0आई0सी0टी0ई0पी0सी0आई0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के आधार पर/सीधे प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठि भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रैगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/ संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था के औचक स्थलीय निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए0आई0सी0टी0ई0पी0सी0आई0/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।



(एफ0आर0 खान)

सचिव

पु0सं0- प्राशिय/परिषद सम्बद्धता/2022/9438-9411

दिनांक: 27/09/2022

प्रतिलिपि-

प्रधानाचार्य/निदेशक SAHARA DEGREE COLLEGE



(एफ0आर0 खान)

सचिव



CHAIRMAN  
S.T.A. Memorial Trust  
Sahara Hospital, Top Khana Ginn  
Rampur (U.P.)



PRINCIPAL  
SAHARA DEGREE COLLEGE  
Vill. Janunagar, Distt. Rampur (U.P.)